The 777th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 11st March, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.
6. Shri A.A. Mishra, Member Secretary.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. After that agenda items- wise taken up for deliberations.

1. <u>Case No. P2/632/24 Shri MUKESH PATIDAR, Project Proponent, Village Silkuwa, Tehsil Dahi, Dist. Dhar (Madhya Pradesh). Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) in an area of 2.00 ha. (Stone (Gitti) – 11,738 m3/Year (Khasra No. 30), Village Tana, Tehsil Kukshi, Dist. Dhar (M.P.) SIA/MP/MIN/466112/2024 (B-2)- Query_Reply Case.</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 752वीं बैठक दिनांक 16/05/2024 एवं 762वीं बैठक दिनांक 03/06/2024 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri MUKESH PATIDAR, Project Proponent, Village Silkuwa, Tehsil Dahi, Dist. Dhar (Madhya Pradesh)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	30 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village Tana, Tehsil Kukshi, Dist. Dhar	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 1157 दिनांक 30/8/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 18 दिनांक 09/2/2017 के द्वारा Stone (Gitti) – 11,738 m3/Year हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone (Gitti) – 11,738 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone (Gitti) – 11,738 m3/Year घनमीटर/वर्षहै।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में लगभग 50 मीटर पर नाला स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चिप्राटा जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यू दिनांक 08/04/2012 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– स्टाप डेम /प्राकृतिक नाला लगभग 05 मी. एवं दक्षिण –पश्चिम दिशा– स्टाप डेम लगभग 11 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण धार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–27 के सरल क्रमांक–05 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र से दक्षिण दिशा में एक स्टाप डेम एवं प्राकृतिक नाला लगभग 05 मी. तथा एवं दक्षिण –पश्चिम दिशा में एक और स्टाप डेम लगभग 11 मी. की दूरी पर स्थित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेगें कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र

के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि सेक की 762वीं बैठक दिनांक **03/06/2024 निम्न जानकारी चाही गई थी ।**

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना **प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।**

समिति ने परीक्षण उपरान्त परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये–

भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक फाईल नं- . IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) Dated 28/4/2023 के बिंदु5-(x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी कलस्टर सर्टिफिकेट कृपया अपलोड करें तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

2. <u>Case No. P2/813/24 Shri Rakesh Raghuwanshi, Hira bagh Colony, Guna Distt. – Guna (M.P.) 473001 Prior Environment Clearance for Piproda Khurd Stone with a Production Capacity of 5,985 Cubic Meter / Year Gitti having a lease area of 2.00 Ha., Khasra no. – 2/1 Min-1, Village – Piproda Khurd, Tehsil– Guna, Distt-Guna(M.P.). [MIN/467552/2024] ToR (Referred Back Case)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755 वी बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

3. <u>Case No. P2/815/24 Shri MURLIDHAR BATHIJA, Lease Owner, Plot No 7, Govindkunj, Napier Town Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (9,189 cum per annum) (Khasra No. 60 Part) Village-Manegaon, Tehsil-Jabalpur, Dist-Jabalpur (M.P.). (TOR) [MIN/467690/2024 (DEIAA- Re-appraisal)] TOR (Referred Back Case)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755 वी बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

4. <u>Case No. P2/816/24 Shri SUNITA SINGH, Lease Owner, 1070, Sanjeewni Nagar, Distt. Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (26,988 cum per annum) (Khasra No.8/8) Village- Ghutiya, Tehsil- Jabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.). (TOR) [MIN/467650/2024 (DEIAA- Re-appraisal)] TOR (Referred Back Case)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755 वी बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

5. <u>Case No. P2/826/24 Shri GULAB BAGHEL, Lease Owner, R/O-244, Sanjeevani Nagar, Garha, District-Jabalpur, State-Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.8 ha. (25,155 cum per annum) (Khasra No. 26 Part) Village-Khurshi tehsil-Jabalpur, district-Jabalpur (M.P.). (DEIAA- Re-appraisal)] TOR (Referred Back Case)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756 वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

6. <u>Case No. P2/802/24 Shri RANJEET KHARE, Owner, S/o, lakhan bihari khare, c.v raman wardn babuji nagar barapatthar seoni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.85 ha. (39]900 cum per annum) (Khasra No. 4) Village – Kuklah, Tehsil & District – Seoni (M.P.). (DEIAA-Re-appraisal)] (TOR) (Referred Back Case)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756 वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

7 **Case No P2/885/24 Shri Sanjay Singh, Village - Jaitpur, Jayant, Singrauli, Gopad Banas Sidhi (M.P.) - 486890, Prior Environment Clearance for BARGAWAN MURRUM QUARRY, 235/1/1, Lease Area - 2.00 ha., Capacity – 22,088 M3/Year. Khasra No. - 235/1/1 (Govt Waste Land), Village - Bargawan Tehsil - Deosar District - Singrauli (M.P.) B 2, DEIAA to SEIA**

प्रकरण समिति की पूर्व की 761वीं बैठक दिनांक 30/05/2024 एवं 766वी दिनांक 08/6/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । अतः स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में रूचि नहीं ले रहे है, अतः प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा की जाती है ।

Case No. P2/818/24 NEELAM YADAV, Lease Owner, VILLAGE- MANGELI, NIGRI, JABALPUR, MADHYA PRADESH. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. पत्थर–**6,970** घनमीटर/वर्ष एवं मुरम–**1,164** घनमीटर/वर्ष, **(Khasra No. 24 Part) Village- Manegaon, Tehsil- Jabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.). [MIN/467649/2024 (DEIAA- Re-appraisal)].TOR. (Referred Back Case)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 757 वी बैठक दिनांक 24.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्कूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

9. **Case No. P2/821/24 Shri Nitish Chaturvedi, Partner & Authorized Signatory, M/s KHAJURAHO STONES (INDIA) PRIVATE LIMITED, 6 Km Sagar road, Dhadari, Chhatarpur,Madhya Pradesh 471001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.15 ha. (Stone-76,400 TPA, Boulder-76,400 TPA and M- Sand-2,29,320 TPA) (Khasra No. 741) Village – Ghoora, Tehsil - Rajnagar, District- Chhatarpur (M.P.). [MIN/467561/2024 (DEIAA- Re-appraisal)] (TOR) (Referred Back Case)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 757 वी बैठक दिनांक 24.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

10. <u>Case No. P2/792/24 Shri Prahlad Rai, Director, DONYPOLO UDYOG LIMITED, R/o- Shamgarh, Tehsil- Shamgarh, District- Mandsaur, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.640 ha. (Stone – 9500 m3/Year) (Khasra No. 151), Village Makdawan, Tehsil Shyamgarh, District Mandsaur (M.P.). [MIN/468228/2024] (ToR) (Referred Back Case)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 757वी बैठक दिनांक 24.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

11. <u>Case No P2/877/2024 Shri Virendra Raghuvanshi, Lessee, Village Dhamnar Tehsil Guna District Guna (MP) 473001, Prior Environment Clearance for Piproda Khurd Stone mine for making Gitti Area - 2.0 ha with a Production Capacity of 10,000 Cubic Meter / Year., Khasra no. - 63, Village - Piproda Khurd, Tehsil– Guna, Distt-Guna(M.P.). ToR Case. DEIAA to SEIAA. (Referred Back Case)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण

स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्कूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

12. <u>Case No P2/852/24 Shri UMMED PARIHAR, Owner, Sindpan, Tehsil Malhargarh, Dist.-Mandsaur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (7500 cum per annum) (Khasra No. 463/1) Village MUNDARI Tehsil Malhargarh District Mandsaur (M.P.) SIA/MP/MIN/468510/2024 DEIAA Re-appraisal (TOR) (Referred Back Case)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

13. <u>Case No. P2/932/2024 SANJAY JAIN, Lessee, R/o Station Road Ganj Basoda, District- Vidisha, M.P Prior Environment Clearance for Flag Stone in an area of 1.90 ha. (Flag Stone – 1800 m3/Year) (Khasra No. 153) Village Lehadra, Tehsil Basoda, District Vidisha (M.P.) [MIN/471617/2024 (DEIAA- Re-appraisal)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

14. <u>Case No. P2/928/2024 Shri SANTKUMAR CHOUDHARY, Owner, R/o-Bus Stand Keolari Tehsil-Keolari, District-Seoni, (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (97,968 cum per annum) (Khasra No. 329/2, 355/1, 355/4) Village Bichhua Ryt, Tehsil- Keolari & District Seoni (M.P.). (TOR) [MIN/471661/2024 DEIAA-Re-appraisal] (R BACK)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

15. <u>Case No. P2/949/2024 Shri Sanchit Sharma, Lessee, ward no.- 02, soni colony jain mandir ke pass, Ashoknagar, Ashoknagar, Guna, (M.P.) - 473331, Prior Environment Clearance for Bansara Stone Quarry an Area - 1.80 ha., Khasra No. - 36, at Village- Bansara, Tehsil– Shadora, District- Ashoknagar(M.P.). with Stone (Gitti) - 10,800 M3/Year, ToR [MIN/471777/2024] (DEIAA- Re-appraisal) (R BACK)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण

स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्कूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

16. <u>Case No. P2/886/2024 MOHD KHAN, Owner, Ward no. 03, gondia road village - kosmi Balaghat, Balaghat , Madhya Pradesh – 481001 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.62 ha. (8550 cum per annum) (Khasra No. 516) Village- Akola, Tehsil- Kiranpur, District-Balaghat (M.P.). [MIN/466263/2024 DEIAA-Re-appraisal] (Referred Back Case)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 761वी बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

17. <u>Case No. P2/888/2024 Shri Raghvendra Singh Kiledar, Director, RAJENDRA SINGH KILEDAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED, Bazar Chowk Betul, Bhaisdehi, Betul (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.90 ha. (Stone 22735 cum per annum & Murrum-4500 cum per annum) (Khasra No. 77/3, 77/11, 77/16, 77/17, 77/18) Village PIPARIA Tehsil Bhainsdehi District Betul (M.P.). [MIN/470481/2024 DEIAA- Re-appraisal]</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 761 वी बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

18. <u>Case No. P2/911/2024 Shri LOKESHWAR AJIT, Owner, Sonpuri, sonpuri, Post Kiranpur, Tehsil Kirnapur, Sonpuri Balaghat, Madhya Pradesh – 481115, Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.0 ha. (2,998 cum per annum) (Khasra No. 516 Part) Village- Akola, Tehsil- Kirnapur, District- Balaghat (M.P.). (TOR) [MIN/466256/2024 DEIAA-Re-appraisal] (R BACK)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

19. <u>Case No. P2/951/24 Madhu Agarwal, Village: Bijpuri, Tehsil: Kotma, District: Anuppur (M.P) - 484224, Prior Environment Clearance for Dongariya Khurd Mine, Gitty/ Boulder – 15,390 Cubic Meter per year. Total Lease Area - 2.124 Ha. Village - Dongariya, Tehsil - Kotma, District - Anuppur (M.P.). DEIAA to SEIAA Case. [MIN/468502/2024]</u>

प्रस्तावित खदान **बी–2** श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **.03**/06/24 को परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स अग्रवाल स्टोन माईनस, प्रो. श्रीमती मधु अग्रवाल** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **FECCM Consultancy Pvt Ltd. (Raheesh Prasad Patel)**उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	**मेसर्स अग्रवाल स्टोन माईनस,** **प्रो. श्रीमती मधु अग्रवाल** ग्राम एंव पोस्ट बिजुरी, कोतमा, तहसील–कोटमा, जिला–अनूपपुर,म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	57 (शासकीय भूमि नॉन फोरेस्ट)	2.124 हेक्टयर
स्थल	Village – Dongariya Khurd, Tehsil – Kotma, District- Anuppur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के पत्र क्रमांक 19/खनिज/2016/1296 दिनांक 18/07/2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	संसोधित कर नया नॉन ब्लास्टिंग माईनिग प्लान प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	क्यूरी रिप्लाई (डिया से सिया) संसोधित कर नया नॉन ब्लास्टिंग माईनिग प्लान प्रस्तावित है	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–15390 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–15390 घनमीटर/वर्षहै।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 26/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 1.619 है, इस प्रकार कुल रकबा 3.743 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4074 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक	

अनापत्ति	1286 दिनांक 26/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डोगरियाकंला जिला अनुपपूर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 10/11/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree to be planted - 2400
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– पक्की सड़क –13 मी. 90 सेडबैक क्षेत्र छोडा गया है
	दक्षिण दिशा– खुला क्षेत्र है, 45 मी पर खदान निर्मित पोन्ड स्थित है
	पूर्व दिशा– खुला क्षेत्र है, 65 मी पर खदान निर्मित पोन्ड स्थित है ।
	पश्चिम दिशा– खुला क्षेत्र है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सवेक्षण रिर्पोट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण अनुपपूर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–17 के सरल क्रमांक–13 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि **सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 13/05/2024 अनुमोदित नॉन ब्लास्टिंग का संशोधित माईनिंग प्लान** प्रस्तुत किया जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान के पेज नं.–02 में किया गया है।पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि उत्तर दिशा में एक पक्की सड़क –13 मी. 90 सेडबैक क्षेत्र छोडा गया है अतः खनन हेतु 1.2 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन इस संबंध में समिति ने पाया कि बेरियर जोन खुदा हुआ है एवं बैंचेस का निर्माण नहीं हुआ है। समिति ने यह भी पाया कि लीज क्षेत्र खुदा हुआ है, अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त करें एवं उनसे इस संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें।

समिति ने परीक्षण उपरान्त परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये–

भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक फाईल नं- . IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) Dated 28/4/2023 के बिंदु5-(x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी कलस्टर सर्टिफिकेट कृपया अपलोड करें तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

20. <u>Case No. P2/989/2024 GHANSHYAM, R/o-Pigdumber, Mhow Indore, District-Indore, M.P, Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.10 ha. (Stone – 5000 m3/year) (Khasra No. 125/1/3) Village Rangwasa, Tehsil Depalpur, District Indore (M.P.). (TOR) [MIN/472352/2024 DEIAA Re-appraisal] (R BACK)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा

उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

21. <u>Case No. P2/963/2024 Shri THALLU CHOUDHARY, Owner, R/o-Bus Stand Kevlari, Tehsil- Kevlari, District- Seoni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.64 ha. (13,680 cum per annum) (Khasra No. 354) Village Sunjhiri, Tehsil- Keolari, District Seoni, (M.P.). [MIN/471684/2024 (DEIAA- Re-appraisal) (R BACK)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

22. <u>Case No. P2/935/2024 ANJU CHOUDHARY, Owner, R/o-Near Bus Stand Keolari, Tehsil- Keolari, District-Seoni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.10 ha. (45,534 cum per annum) (Khasra No. 175, 182, 184 & 181, 81) Village- Sunjhiri, Tehsil- Keolari, District- Seoni (M.P.). [MIN/471847/2024 DEIAA-Re-appraisal] (R BACK)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण

स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्कूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

23. <u>Case No. P2/953/2024 Shri Nitin Barsainya, Director, M/s GOUR ROAD TAR COAT PRIVATE LIMITED, Plot No-2358/6, Sharda Chouk, Nagpur Road, Near Takshila Engineering College, Jabalpur, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 14.8 ha. (14,472 cum per annum) (Khasra No. 68,76 Part) Village- Dhadhra, Tehsil- Jabalpur, District- Jabalpur (M.P.) [MIN/468149/2024 (DEIAA- Re-appraisal) (R BACK)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

24. <u>Case No. P2/927/24 Shri Dharm Veer Singh Gour, Partner, M/s gour bandhu construction company, Infront of Police Station Jatara, District- Tikamgarh, Madhya Pradesh 472221. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (7000 cum per annum) (Khasra No. 851/9/1 (P)) Village- Pathara, Tehsil- Jatara, District- Tikamgarh, (M.P.). [MIN/471003/2024 DEIAA- Re-appraisal] (B2)</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 762वीं बैठक दिनांक 03/06/2024 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Dharm Veer Singh Gour, Partner, M/s gour bandhu construction company, Infront of Police Station Jatara, District -, Tikamgarh, Madhya Pradesh 472221.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	851/9/1 (P) (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Pathara, Tehsil- Jatara, District- Tikamgarh, (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 68 दिनांक 09/03/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA-Re-appraisal	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 161 दिनांक 25/08/17 के द्वारा Granite Stone-7000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Granite Stone-7000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Granite Stone-7000 घनमीटर/वर्षहै।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1195 दिनांक 29/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1195 दिनांक 29/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1195 दिनांक 29/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हृदयनगर जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 16/08/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–24 के सरल क्रमांक–14 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

- डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन कर प्रमाणित फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन ।
- लीज क्षेत्र खुदा हुआ है अतः इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी से जानकारी एवं की गई कार्यवाही पस्तुत करें ।

समिति ने परीक्षण उपरान्त परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये–

भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक फाईल नं- . IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) Dated 28/4/2023 **के बिंदु5-(x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी कलस्टर सर्टिफिकेट कृपया अपलोड करें तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।**

25. <u>Case No. P2/606/2024 Shri Nirmal Chand Jain, Partner, M/s MAHAVIR MINERALS, Behind Mahaveer Lake view Society, Bandha Talab, Janpara Durg (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 2.83 ha. (Dolomite- 34399 TPA & Overburden- 6011 cum per annum) (Khasra No. 2.83) Village – Bhatiya Tola, Tehsil – Nainpur,Mandla District (MP). [MIN/467829/2024 (DEIAA- Re-appraisal) (R BACK)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

26. <u>Case No. P2/913/24 Shri DEVENDRA TRIPATHI, project proponent, House no. - B27, pilibhit road north city extension , Bareily,Izzat Nagar, Uttar Pradesh , 243122. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.528 ha. (14, 994 cum per annum) (Khasra No. 47/4/2) Village Ghuman Tehsil Jawa District Rewa (M.P.). [MIN/470530/2024 DEIAA- Re-appraisal] (B-2)-Query Reply.</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 762वीं बैठक दिनांक 03/06/2024 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	**श्री देवेन्द्रमणि त्रिपाठी आत्मज श्री विश्वपति त्रिपाठी, मकान नं. बी–27, पीलीभीत रोड नार्थ सिटी एक्सटेंशन बरेली, इज्जत नगर, उत्तरप्रदेश**	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	47/4/2 (निजी भूमि)	4.528 हेक्टयर
स्थल	Village – Ghuman Kala, Tehsil – Java, District- Rewa (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र कमांक 2752/खनिज/2017 दिनांक 25/09/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	NEW	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–14997 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–14997घनमीटर/वर्षहै।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 4074 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में **<u>कोई अन्य</u>** खदानें संचालित/स्वीकृत **<u>नही</u>** है, इस प्रकार कुल रकबा **<u>4.528</u>** हे. होता है, अतः प्रकरण **<u>बी–2</u>** श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 4074 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र **<u>स्थित नहीं है</u>** ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 4074 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे	

	लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला **नहीं है** ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम **पंचायत घूमन** जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव **क्रमांक 05** दिनांक **15/08/2017** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को **कोई आपत्ति नहीं है** ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - 00 Additional tree to be planted - 5400
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	**उत्तर दिशा**– खुला क्षेत्र है
	दक्षिण दिशा– 365 मी. पर बरसाती नहर
	पूर्व दिशा– 306 मी पर 3 मकान एवं 203 मी पर बरसाती नाला
	पश्चिम दिशा– 443 मी पर 2 मकान एवं 270 मी पर बरसाती नाला
प्रस्तावित खदान की जिला सवेक्षण रिर्पोट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण **रीवा** जिले की अनुमोदित नवीन जिला **सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–38** के सरल **क्रमांक–89** पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

- डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन कर प्रमाणित फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन ।

प्रस्तावित खदान **बी–2** श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **11/03/2025** को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार **Shri Raheesh Prasad Patel, from M/s. FECCM Consultancy Pvt Ltd. Bhopal** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने परीक्षण उपरान्त परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये–

भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक फाईल नं- . IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) Dated 28/4/2023 **के बिंदु5-(x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी कलस्टर सर्टिफिकेट कृपया अपलोड करें तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।**

27. Case No. P2/964/2024 Shri Shyam Sharma. GANGA MAI SANTAR MURAR – GWALIOR, Distt. – Gwalior (M.P.) 474001, Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Mine for Making Gitti Through Crusher at Khasra No.– 37,17/2] an Area - 1.00 ha., at Village - Bilaua, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.). with Production: Stone - 3,990 M3/ Year. ToR,. [MIN/471809/2024] (DEIAA- Re-appraisal) (R BACK)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

28. <u>Case No. P2/985/2024 Shri SANJEEV MISHRA. Mine Owner, Gandhi Nagar, Near Dainik Jagaran Press, Urrahat, Huzur, Rewa (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.20 ha. (8526 cum per annum) (Khasra No. 144/4 & 146/2) Village -Jonhi, Tehsil- Huzur , District- Rewa (M.P.) [MIN/471900/2024 DEIAA-Re-appraisal] (R BACK)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण

स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्कूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

29. <u>Case No. P2/1003/2024 Shri Mukesh Jain. Lessee, M/S GRANITE INDIA, 43 Jawahar Road District Chhatarpur (M. P.) Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 4.00 ha. (3000 cum per annum) (Khasra No. 2794, 2599/1/1K) Village Malhara Tehsil Maharajpur District Chhatarpur (M.P.) [MIN/475282/2024 DEIAA- Re-appraisal] (R BACK)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

30. **Case No. P2/26/2024 Shri GAJENDRA Singh CHOUHAN, proprietor, M/s Vinayak Enterprises), 55, Radhakrishana Marg, Jhabua, Madhya Pradesh 457661. Prior Environment Clearance for Stone Querry Mining Project in an area of 01.25 ha. (4000 Cum/Year) (Khasra No. 822/3), Village-Piliya Khadan Teshil and Distt. Jhabua (MP). Quer Reply.**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 724वीं बैठक दिनांक 17/02/2024 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri GAJENDRA Singh CHOUHAN, proprietor, M/s Vinayak Enterprises), 55, Radhakrishana Marg, Jhabua, Madhya Pradesh 457661	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	**822/3** (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	**01.25** hectare.
स्थल	31. Village-Piliya Khadan Teshil and Distt. Jhabua (MP)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 7102 दिनांक 20/05/22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 53 दिनांक 21/05/16 के द्वारा पत्थर – 4275 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया/क्षमता विस्तार ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन – **4000** घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **4000** घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 670 दिनांक 27/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 4.99 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 670 दिनांक 27/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 670 दिनांक 27/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट एवं लगभग 50 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क स्थित है शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नही है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 15/08/19	

की अनापत्ति	अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड लगभग 83 मी. पर सिथत है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र अनुसार नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ा जावेगा ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .100 पेड़ लगाये है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

समिति ने परीक्षण उपरान्त परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये–

भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक फाईल नं- . IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) Dated 28/4/2023 के बिंदु5-(x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी कलस्टर सर्टिफिकेट कृपया अपलोड करें तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

31. <u>Case No. P2/622/2024 Shri GOURAV PAL, Lessee, R/o- 93 A, Vishwakarma Nagar Indore, District-Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 4.50 ha. (Stone - 50000 Cum per annum) (Khasra No. 62/1/2/2), Village-Dhureri, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) [MIN/463555/2024] (DEIAA- Re-appraisal) (R BACK)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की **751** वी बैठक दिनांक **15.05.2024** में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-**1**) सहित स्टैण्डर्ड **TOR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।
प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक **28.04.2023** के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक **15.01.2024** के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रक्रिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **TOR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। यद्वपि उक्त ज्ञापन दिनांक **28.04.2023** के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में कलस्टर अभिप्रमाणीकरण हेतु खनिज विभाग से दस्तावेज प्रक्रिया में सम्मलित किया जाना निर्देशित है। इस प्रकरण में भी कलस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार **5** हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा **Standared ToR** जारी किये जाने की **5** हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा **Standared ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त ज्ञापनों के अनुसरण में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण

स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्कूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

32. <u>Case No. P2/636/24 Shri Sattendra Baghel, R/o- MIG-164, Navjeevan Vihar, Post Vindhyanagar, District- Singrauli, M.P, 486885, Prior Environment Clearance for Semariya Stone Quarry, Lease in an area of 4. 40 ha. Capacity : 120612 Cum per year, at Khasra No. - 505/2, Village Semariya, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). DEIAA TO SEIAA ToR.</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 752वीं बैठक दिनांक 16/05/2024 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Sattendra Baghel, R/o- MIG-164, Navjeevan Vihar, Post Vindhyanagar, District- Singrauli, M.P, 486885, Prior Environment Clearance for Semariya Stone Quarry, Lease in an area of 4. 40 ha. Capacity : 120612 Cum per year, at Khasra No. - 505/2, Village Semariya, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). [DEIAA]. SIA/MP/MIN/463378/2024
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 505/2, एरिया– 4.40 ha., श्शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village Semariya, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.).
Project Proposal For	New (डिया से सिया।)
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 3066 दिनांक 21/06/2017.
परियोजना की श्रेणी	बी–1,
टॉर स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा टॉर प्रस्तावित किया है।
Description of Project	It is a stone quarry with a production capacity of 1,20,612 Cubic meter per year having a lease area of 4.40 hectares, previously EC was issued by DEIAA Singrauli at Khasra No. - 505/2, Village Semariya, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). Now we are applying for fresh EC in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	NA. (Method of mining -Semi-mechanized)
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	Previously EC was issued by DEIAA Singrauli. Letter no. 13 dated 13/09/2017. (Stone – 50118 Cubic meter/year.
उत्पादन क्षमता	**स्टोन** – 1,20,612 cum per year**.**
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3705 दिनांक 23/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 09.11 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3705 दिनांक 23/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3705 दिनांक 23/10/2023 अनुसार आबादी एंव अन्य संस्थान 100 मीटर से अधिक दूरी पर है। ➢ आवेदित क्षेत्र से 500 मी. के अंदर आबादी है किन्तु 100 मी0. की परिधि मे कोई भी मकान स्थिल नही है। ➢ नाला एंव तालाब आवेदित क्षेत्र से 100 मी0. की दूरी पर है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – सेमरिया, जिला–, सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 02 दिनांक 18/02/2017 पर दर्ज है।
जल/वायु सम्मति संबंधी जानकारी	CTO valid 29/05/2027.
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थिल पेड़ो का विवरण –.फाइनल EIA के समय प्रस्तुत किया जायेगा
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– कच्ची सड़क उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, कच्ची सड़क से 50 मीटर का सेटबैक दिया जाएगा।
	दक्षिण दिशा– 85 m Isolated hut, 50– मीटर का सेटबैक दिया जाएगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. –38 के सरल क्रमांक–66 पर दर्ज है।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) ''गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर'' अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2

केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

33. <u>Case No. P2/638/24 Shri Bhrighu Gupta, Khadia Bazar, Shaktinagar, Sonbhadra (U.P.) 231222, Prior Environment Clearance for Karami Stone Mine, Stone quarry with a Production Capacity of 75,074 cubic meter per year stone having a lease area of 3.29 hectares, at Khasra No. 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 437 & 438, Village Karami, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). [DEIAA]. ToR (DEIAA to SEIAA). ToR DEIAA to SEIAA).</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 752वीं बैठक दिनांक 16/05/2024 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Bhrighu Gupta, Khadia Bazar, Shaktinagar, Sonbhadra (U.P.) 231222, Prior Environment Clearance for Karami Stone Mine, Stone quarry with a Production Capacity of 75,074 cubic meter per year stone having a lease area of 3.29 hectares, at Khasra No. 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 437 & 438, Village Karami, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). [DEIAA]. SIA/MP/MIN/466498/2023.
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 437 & 438, एरिया– 3.29 ha., श्शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village Karami, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 125 दिनांक 12/01/2017.
परियोजना की श्रेणी	बी–1,
टॉर स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा टॉर प्रस्तावित किया है।
Description of Project	It is a Stone quarry with a Production Capacity of 75,074 cubic meter per year stone having a lease area of 3.29 hectares, previously EC was issued by DEIAA Singrauli at Khasra No. 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 437 & 438 Village Karami, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). Now we are applying for fresh EC in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.
CTO Status	CTO will be applied after getting Environmental Clearance as previous CTO is expired.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Controlled blasting techniques, Muffle Blasting. (As per Parivesh Portal up-loaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA letter no. 175 dated 30/11/2016. Capacity - 80,306 M^3/Year.
उत्पादन क्षमता	**स्टोन** – 75,074 cum per year**.**
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3708 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 6.64 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3708 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3708 दिनांक 25/10/2023 अनुसार आबादी एंव अन्य संस्थान 100 मीटर से अधिक दूरी पर है। ➢ 130 मी. की दूरी पर गैररिहायशी मकान है। ➢ 300 मी. की दूरी पर रिहायशी मकान है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत करामी, जिला– सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र0. निरंक दिनांक 26/01/2016 पर दर्ज है।
जल/वायु सम्मति संबंधी जानकारी	NA
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थिल पेड़ो का विवरण –.फाइनल EIA के समय प्रस्तुत किया जायेगा
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा–120 m उत्तर परिचम दिशा में कुछ माकान दिखायी दे रहे हैं।
	दक्षिण दिशा–परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाताया गाया है कि 96 मीटर की दुरी पर स्थिल माकान उनका साइट ऑफिस है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–31 के सरल क्रमांक–38 पर दर्ज है।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) ''गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर'' अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

34. <u>Case No. P2/801/24 Shri Sanjeev Singh, INDRAPURI COLONY, NEAR TATA COMMERCIAL, DHOTI, POST- VINDHYANAGAR SINGRAULI, (M.P.) 486885, Prior Environment Clearance for, Singrawal Stone Mine, Lease Area: 3.55 Ha. Stone – 40,612 M3/Year. Khasra No. – 420 (Partly), Govt Waste Land Village – Singrawal, Tehsil- Mada District- Singrauli (M.P) . SIA/MP/MIN/467262/2024. [MIN/467262/2024] B2 Case.Quer Reply.</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 755वीं बैठक दिनांक 21/05/2024 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

परियोजना विवरण :–

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	**श्री संजीव कुमार सिंह पिता श्री कैलाश सिंह** **निवासी – एम. आई. जी. 44, नवजीवन विहार, पोस्ट- विन्ध्यनगर,** **जिला –सिंगरौली (मध्य प्रदेश)** **मोबाइल नंबर - +91-8109122160**			
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. **420**	**सरकारी**	**3.55 Ha.**	
स्थल	Village – **Singrawal,** Tehsil- **Mada,** District -**Singrauli** (M.P.)			
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक **1209** दिनांक–22/**03**/**2021** के द्वारा स्वीकृत ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	**N.A.**			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष– 2021, क्षमता– 40612 घन मीटर प्रति वर्ष, उत्पादित मात्रा– 40612 घन मीटर प्रति वर्ष			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	**N.A.**			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर	माईनिंग प्लान	डीएसआर	**हॉ**	नहीं

अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति				
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	**अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग**			
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया प्रकरण **बी–2**			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण – **श्री मुनींद्र कुमार पांडेय** स्थल का नाम – **सिंगरावल,** दिनांक–**20 / 05 / 2024**			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया **16 / 2016** के पत्र क्रमांक **11** दिनांक **30 / 05 / 2016** के द्वारा **पत्थर** – **46000** घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **पत्थर** –**40612** घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार–**40612** घनमीटर / वर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **सिंगरौली** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक **3586** दिनांक **12 / 10 / 2023** अनुसार 500 मीटर की परिधि में **कोई भी** खदानें संचालित / स्वीकृत **नहीं** है, अतः प्रकरण **बी–2** श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **सिंगरौली** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक **3586** दिनांक **12 / 10 / 2023** अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित **नहीं है** । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **सिंगरौली** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक **3586** दिनांक **12 / 10 / 2023** अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।			

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बुचरो जिला **सिंगरौली** के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 46 दिनांक **24/02/2011** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	हॉ/नहीं
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	**क्रेशर लीज क्षेत्र के बाहर है**
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थित पेड़ो की संख्या – **50** • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण – **लीज एरिया के पेड़ नहीं कटे जाने है**
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– यह कि पट्टेधारी श्री संजीव कुमार सिंह तनय श्री कैलाश सिंह को खसरा क्रमांक - 420, के रकबा- 3.55 हेक्टेयर पर (यांत्रिक क्रिया से गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत हुआ है जिसके समीप में लग-भाग 139 एवं 168 मीटर की दुरी पर (सेंगसग लीज एरिया से) निजी भूमि पर खसरा क्रमांक- 422 एवं 421 के निजी स्वामित्व श्री वृंदावन साहू कि भूमि पर पशुयो के लिए भूसा एवं चारा एवं कृषि यन्त्र से सम्बंधित सामग्री रखने के उद्देश्य से मालघर बनाये गए है जिनके किसी भी तरह का मानव बसाहट नहीं है। यह कि हमारा निवास उत्खनिपट्टे से लगभग 4.00 किलो मीटर दूर है। **<u>पश्चिम दिशा – उत्तर दिशा– दक्षिण दिशा</u>** – यह कि पट्टेधारी श्री संजीव कुमार सिंह तनय श्री कैलाश सिंह को खसरा क्रमांक - 420, के रकबा- 3.55 हेक्टेयर पर (यांत्रिक क्रिया से गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत हुआ है जिसके समीप में लग-भाग 177 एवं 206 एवं 150 एवं 160 एवं 60 एवं 156 एवं 200 एवं 188 एवं एवं 210 एवं 148 एवं 190 एवं 215 मीटर की दुरी पर (सेंगसग लीज एरिया से) शासकीय भूमि पर आवेद रूप से कच्चे मिटटी के घर बनाये गए है जिन सभी का खसरा क्रमांक- 420 कि भूमि पर पशुयो के लिए भूसा एवं चारा एवं कृषि यन्त्र से सम्बंधित सामग्री रखने के उद्देश्य से मालघर बनाये गए है जिनके किसी भी तरह का मानव बसाहट नहीं है। यह कि जिन का निवास उत्खनिपट्टे से लगभग 4.00 किलो मीटर दूर है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का	**26/03/2024**

दिनांक	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–**61** के सरल क्रमांक–**172** पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	– **N.A.**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि पूर्व ई. सी. की शर्तो का पिछले 09 वर्षो में कोई कार्य नहीं किया गया है, परियोजना प्रस्तावक ने फेंसिंग के संबंध में बताया गया कि 05 बार फेंसिग कार्य किया गया है,परन्तु हर वर्ष फेंसिग चोरी हो जाती है, लेकिन इस संबंध में कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई है । प्रस्तुत अभिलेखों से लग रहा है कि खदान क्षेत्र में 06 मी. से अधिक उत्खनन हुआ है, पिछले 10 वर्षो का उत्पादन/ उत्खनन कितना हुआ है जानकारी प्रस्तुत करें एवं डी.जी.एम.एस. से परमीशन की जानकारी भी प्रस्तुत करें।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

35. Case No. P2/621/2024 Shri RAGHUVEER RANAWAT, Lessee, R/o-Nagda, Tehsil-Nagda, District- Ujjain, M.P. Prior Environment Clearance for Gitti in an area of 1.50 ha. (Gitti – 7275 m3/Year) (Khasra No. 486/1/1/Ka/1), Village Ringnod, Tehsil Jaora, District Ratlam (M.P.). [MIN/462466/2024] (DEIAA- Re-appraisal) (R BACK)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की **753** वी बैठक दिनांक **17.05.2024** में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-**1**) सहित स्टैण्डर्ड **TOR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।
प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में **DEIAA** द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के **re-appraisal** हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं **SEAC** की अनुशंसा के दृष्टिगत परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक **28.04.2023** के अनुसरन में जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक **15.01.2024** के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रक्रिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति **SEIAA/SEAC EAC** द्वारा पु पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **TOR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। यद्धपि उक्त ज्ञापन दिनांक **28.04.2023** के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में क्लस्टर अभिप्रमाणीकरणा हेतु खनिज विभाग से दस्तावेज प्रकिया में
सम्मलित किया जाना निर्देशित है। इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार **5** हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा **Standared ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में यह भी पाया गया पर्यावरण सलाहकार की **NABET** वैधता समाप्त हो चुकी है, एकल प्रमाण पत्र कलेक्टर द्वारा अनुमोदित नही है एवं खदान से **50** मीटर की दूरी पर नाला स्थित है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त ज्ञापनों के अनुसरण में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित गिट्टी खदान बी-**1** श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक **11/03/2025** को परियोजना प्रस्तावक श्री रघुवीर रनावत, ऑनलाईन

एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्कूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

36. <u>Case No. P2/620/2024 Shri PAPPU GOUDH, Lessee, R/o- Village- Shankargarh Dewas, District- Dewas, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.00 ha. (Stone 6,000 m3/Year) (Khasra No. 197/1), Village Khatamba, Tehsil Dewas, District Dewas (M.P.). [MIN/465146/2024] (DEIAA- Re-appraisal) (R BACK)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की **753** वी बैठक दिनांक **17.05.2024** में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-**1**) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।
प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में **DEIAA** द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के **re-appraisal** हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं **SEAC** की अनुशंसा के दृष्टिगत परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक **28.04.2023** के अनुसरन में जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक **15.01.2024** के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **TOR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। यद्वपि उक्त ज्ञापन दिनांक **28.04.2023** के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में क्लस्टर अभिप्रमाणीकरण हेतु खनिज विभाग से दस्तावेज प्रकिया में सम्मलित किया जाना निर्देशित है। इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार **5** हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा **Standared ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में यह भी पाया गया कि पर्यावरण सलाहकार की **NABET** वैधता समाप्त हो चुकी है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त ज्ञापनों के अनुसरन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

37. <u>Case No. P2/833/2024 Shri Shyamlal Jayswal, R/o-Village-Sarai, Post- Sarai, Tehsil-Sarai, District- Singrauli, M.P 486181, Prior Environment Clearance for Jhara Stone Quarry, Khasra No. - 3130/1] Lease Area- 4.00 ha., Proposed Production Capacity – 42,591 Cum/Year, Village Jhara, Tehsil - Sarai, District - Singrauli (M.P.). ToR. [MIN/464168/2023] (DEIAA- Re-appraisal) (Referred Back Case)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756 वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

38. <u>Case No. P2/834/2024 Smt. Seema Jaiswal, W/o Shyamlal Jaiswal R/o-Village- Sarai Post- Sarai, District- Singrauli, M.P – 486881, Prior Environment Clearance for Katheri Stone Quarry, Khasra No. - 1328 Part, Lease Area- 2.00 ha., Proposed Production Capacity – 22,140 Cum/Year, Village - Katheri, Tehsil - Sarai, District – Singrauli (M.P.). ToR. [MIN/463997/2024] (DEIAA- Re-appraisal) (Referred Back Case)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756 वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी

करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्कूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

39. <u>Case No. P2/829/2024 Shri PRAVIN RICHHARIYA, Proprietor of M/S Dhanya Stone Crusher, R/o- H.No. 08, Jain Mandir Gali, Pantnagar Ward Sagar, District-Sagar, (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (M-Sand-4447 cum per annum & Gitti-4940 cum per annum) (Khasra No. 365/1) Village Talchiri, Tehsil Sagar, District Sagar (M.P.). [MIN/463955/2024 (DEIAA- Re-appraisal). (Referred Back Case)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756 वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

40. <u>Case No. P2/894/2024 Shri NAWAB KHAN, Lease Owner, Bus Stand, Amraiyapar, Kymore,Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.930 ha. (27,000 cum per annum) (Khasra No. 1223, 1228/2, 227) Village -Paraswara, Tehsil-Vijayraghogarh, District-Katni (M.P.). [MIN/470985/2024 (DEIAA- Re-appraisal) (Referred Back Case)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 761वी बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

41. <u>Case No. P2/918/2024 Shri SANJAY MALOO, Authorized Person, 27,i Ishwar complex, C.V rahman ward Barapatthar, Seoni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.3 ha. (Stone-38,220 cum per annum & M Sand-22,295 cum per annum) (Khasra No. 32) Village KUKLAH Tehsil Seoni District Seoni (M.P.). (TOR) [MIN/471129/2024 (DEIAA- Re-appraisal) (R BACK).</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 763 वी बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण

स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्कूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

42. Case No. P2/914/2024 Shri AMZAD KHAN, Lessee, 7/60 Patel Nagar Ward No. 7 Pithampur Tehsil Pithampur District Dhar (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone Gitti - 17459 cum per annum) (Khasra No. 642) Village – Khandwa, Tehsil – Pithampur, Dhar (M.P.) [MIN/468243/2024 (DEIAA- Re-appraisal) (R BACK)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 763 वी बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal **उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया से सिया से संबंधित प्रकरण, जो फार्म–2 में समिति को प्राप्त हुये थे जिनके परीक्षण में पाया गया कि उनमें से अधिकांश कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 में पाये गये परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन बी–2 केटेगरी में किया गया था। परिवेश पोर्टल के उक्त फार्म–2 के संबंध में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का विकल्प नहीं था। तथापि पूर्व समिति की बैठकों में स्टेण्डर्ड टॉर जारी करने का निर्णय लिया था ।

सिया ने ऐसे प्रकरणों को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में पर विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से विलोपित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा ।

जिन प्रकरणों को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक आवंटित हो चुके हैं उन प्रकरणों में पूर्व आवेदन के साथ जमा की गयी प्रक्रिया शुल्क राशि को जमा/प्राप्त है मानते हुए बी–1 श्रेणी हेतु सिया द्वारा वर्तमान में निर्धारित प्रकिया शुल्क राशि में से शेष राशि को पुनः फार्म–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ऐसे डिया से सिया प्रकरण जो स्क्रूटनी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक को बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत कलस्टर (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) में आवेदित होने के कारण ईडीएस जारी किये गये हैं उन प्रकरणों को भी परियोजना प्रस्तावक वापिस (Withdraw) लेकर, फार्म–1 में बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें ताकि प्रकरण एप्राईजल की कार्यवाही की जा सके।

Query_Reply Case (Apart from DEIAA Cases).

43. **Case No 10260/2023 Shri Vikas Sharma, Director, M/s Garima Natural Resources Private Limited, R/o Shop No. 150, 106, 2nd Floor, Shri Ram Heritage, Netaji Chowk, Katora Talab, District-Raipur (MP)-492001, Prior Environment Clearance for Chakariya Gold Block in an area of 23.57 ha. (Gold-12553, Mine Waste-119250 TPA) (Khasra No. 848/2, 848/3, 1111, 1118, 358, 847, 848/1, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 853, 1110, 1111, 1112/1, 1112/2, 1112/3, 1113, 1114, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1119, 1120, 1121, 1122/1, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1125, 1126/1/1, 1126/1/2, 1126/2, 1126/3, 1123, 1127/1/1, 1127/1/2, 1127/2, 1127/3, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1144/4, 1128, 1124), Village-Chakariyadand, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) . On-line Proposal No. 518793. For EIA. Rreferred Back Cases.**

- Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 768th meeting of SEAC dated 28.01.2025 wherein EC was recommended.
- Afterwards the case was considered by SEIAA in its 868th Meeting date 14.02.2025 and additional information was sought on the proposal recommended.
- This case was also scheduled in the in 776th meeting of SEAC dated 22.02.2025.

The query reply was observed by the commiittee. Following reply submitted by PP :

- **Regarding validity of letter of intent .**
  Reply: The extended letter of LOI having validity till 13.09.2025 is being enclosed for your kind consideration.
- **Regarding ToR point (III) wrt displacement of house hold**

Reply: Very humbly the said proposal is for mining and lease has been sanctioned under auction scheme by the govt. in case of mining surface right is reserved with the govt only.In the subject lease, the predominant land use is Govt land where some households are developed over the years and practicing agricultural practice and hence developed hutments also. Further land involved in the lease shall be provided by the Govt through district collector if any encroachment is there. However as per mining scheme prepared for next 5 years, no mining is proposed over the land where hutments are being seen.

Hence LARR 2013 is not applicable in our case as we are not purchasing or taking over land of any house hold. It will be provided by the Govt rule 9(K) and rule 6(K) of MP mineral Act 1996. As a good gesture, we have proposed Rs 177.76 Lacs have been proposed for 22 households and to reach the figure of Rs 177.76 Lacs we have taken element as given in the schedule _II of LARR 2013. The details of the same have been presented in section 7.3 of chapter-7 of EIA study report. Relevant pages are being enclosed **as Annexure-2 to** the Letter for your kind consideration

- **Regarding pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area**

Reply ; Kindly note that it is one of the common ToR condition given in the case mining project. In our case, no habitation is located along the transport road which is 688m from lease to PWD road. It may be seen over google earth also. The marked transportation route is shown as Fig 2.4 of Chapter- 2 of EIA Study Report and Relevant pages are being enclosed as **Annexure-3** to the Letter for your kind consideration.

However construction of pucca road has also been proposed for which Rs 6.30 Lacs has been budget under Environment Management Plan under section 9.3.8 of Chapter-9 of EIA study report. Relevant pages are being enclosed as **Annexure-4** to the Letter for your kind consideration

- (a) **Regarding Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.**

Reply- Very humbly, the subject lease is proposed for mining of major mineral with fully mechanised method which has been detailed out in various section for chapter -2 and in mining plan which is approved by IBM Govt of India. The subject ToR condition is not applicable for such kind of mining project.
Further in the subject mine there is no point source of emission, fugitive dust emission in terms of SPM (now it called as PM-10 and PM 2.5) will be generated which is properly estimated and predicted also in section 4.3.2.2 of Chapter-4 of

EIA study report . Relevant pages are being enclosed as **Annexure-5** to the Letter for your kind consideration

Occupational health and safety aspect has been detailed out at section 7.4 of chapter 7 and section 9.3.6 of chapter-9 of EIA study report. Relevant pages are being enclosed as **Annexure-6** to the Letter for your kind consideration

- **Global warming potential and carbon foot print of the industrial activities should be studied and discussed in details during EIA study.**

Reply: Very humbly the subject proposal is comes under mining category whereas in ToR condition, carbon sequestration has been asked for industrial activity. In aforesaid proposal no industrial activity is proposed. However in the subject proposal, following will be aspect of carbon sequestration.
About 18 dumpers required per day basis. It is estimated that 2.62 kg of CO2 is emitted from burning of 1 lit of HSD. It is estimated that one dumper required 1liter HSD required for running of 3km and transport route is 0.688km hence 0.23liter HSD required for one dumper hence 0.46 liter required for to and fro basis. For 18 dumpers required 8.28liter HSD per day basis. About 21.69kg CO2 will be generated per day basis and 6508kg CO2 will be generated yearly basis (300 working days). On an average one trees consumes 21 kg of CO2 per year, hence to meet out the control of CO2, total 310numbers of trees are required, where as we have planted more than 15600 Trees will be planted within lease area.

- **Regarding** परियोजना प्रस्तावक द्वारा एनवायर्नमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनेलिसिस का विस्तृत विवरण समावेश किया जाए |

Reply; The cost benefit analysis of the proposed mining project was carried out and submitted with project feasibility report which was uploaded as Annexure-14 with mining plan. However the details are being reproduced here for your kind consideration:

Cost and Revenue Factors:

RESOURCE (Tonne)	137782.5
Avg Sale Price (Asp)	4036.1962
Value Of Estimated Resources (Ver)	556117200
Auction Price/Final Offer Price	5.4% OF VER
	30030329
Performance Security 0.5%	2780586
Upfront Payment First Installment (10%)	278059
Upfront Payment Second Installment (10%)	278058
Upfront Payment Third Installment (80%)	2224469

- **<u>The derivation of, or assumptions made, regarding projected capital and operating costs</u> Capital cost& Operating Cost (For LeasePeriod)**

<u>Reply</u>

1.	Land	50,00,000.00
2.	Mining a. Cost of Infrastructure, tools, equipment's	70,00,000.00
3.	Environment Protection Pollution Control Check dam, Garland drain protective bundetc.	10,00,000.00
4	Occupational health & Safety Infrastructure & PPES	20,00,000.00
	Total Capital Investment	1,50,00,000

I. **Total Capital Investment =1,50,00,000/-**

Investment cost

i) Interest on Capital investment of Rs**1,50,00,000** Lac per year = @12%=1800000**/-**

ii) Depreciation of Cost of Building / Site services/ land peryear =Rs.7,000,000/50 =Rs140000/-

I. **Per year cost incurred on fixedinvestment**

Rs.18,00,000/-+Rs.140000/-=Rs.**1940000**/-

Inflation forecast: Increase in PMV/Sale value of mineral on yearly basis will take care of inflation on inputs.

Operating cost : Rs. 240/- per tonne (Including Over burden removal, drilling , blasting, breaking, sizing, loading, transport to stack yard, labour cost etc. This is in terms of wages, consumables, fuel and spares.)

s.no	Area of investment	Cost/ ton in Rs.
1	Mining -	200/-
a)	Salaries & wages of staff	30/-
b)	Diesel and accessories for transport including mining cost	150/-
c)	Explosive	20/-
2	Socio economic development	5/-
a)	Corporate social responsibility	5/-
3	Occupational health and safety	3/-
a)	Routine Checkup	3/-
4	Environment management	10/-
a)	Dust suppuration and pollution control	5/-
b)	Environment monitoring	5/-
5.	Miscellaneous Plantation, settling tank, garland, air-water monitoring, road making, De-watering etc. (e), out of pocket expenses	4/-
	Total recurring expenditure	240/-

Royalty calculation	
Yearly production	18611
Metal grade (gram / ton)	1.32
Total metal in tonnee	0.02456
Total metal in tr oz	789.62234
Price of metal as per LBMA per tr oz	134705
Sell Price of metal per year	106366077
Per ton price of ore as per LBMA	5715.2263

Royalty is 4% of price of LBMA	228
DMF 30% of Royalty	68.4
NMET : 2% of Royalty	4.56
IT – 2% of Royalty	4.56
GST – 18% (RCM) of Royalty	41.04
MPGSVA 10 % pit mouth value	24
TOTAL	**370.56**
Premium Payment per ton :- (current ASP X FINAL OFFER PRICE %) = 217.95 say 218 TOTAL cost of production / ton in Rs. =371+240+218 = Rs. 829/- per tonne	

So, max production per year of mineralized ore say 12553 t of Gold Ore. Total Operating Cost of production/yr =12553x Rs829= Rs. 15428519/-

Sensitivity studies: The area does not require any such study.

Closure cost: Cost incurred on fencing, parapet wall, warning board, gate, decommissioning, rehabilitation of people etc. = Rs. 100,000/- per year

Total Closure cost: Rs.100,000

Rehabilitation cost: PMCP/FMCP implementation cost (Including pit/dump management/backfilling, Afforestation and other measures etc.) =Rs.50, 000/- per year

Total Reclamation and Rehabilitation cost: Rs. 25,000/- Total Cost of production/yr =(II+III+IV+V) = (Rs. 1940000 +15428519+ Rs.50,000 +Rs.25, 000+600606) =Rs 18044125/-

Total Cost of production per T =Rs 18044125/**1**2553 =Rs.976.54/- say 970 Say sale value (PMV)

So, average saleable price is 4036/- tonne as per IBM ASP.

Profit = Sale Value – ProductionCost

= Rs 4036 – Rs. 970 =Rs.3066/-

Total cash flow =Rs.3066 x 18611= Rs. 57061326 /- per year

Cash flow forecast: There will not be any problem in Cash flow. Total cash flow will be Rs 57061326/- per year.

Economic viability of the project:

If amount (1+3+4+5) = 18044125 is invested @ interest 11 %. The bank interest per year will be Rs. 1984853/-

- **The allowances made for royalties payable, both Government andprivate.**The royalty of the ore will paid to the Government @ rate of Rs.371 /tonne.**Basic cash flow inputs for a stated period**

Total cash flow is Rs. Rs. 57061326 /- per year which is more than Rs. 1984853/- and profit is Rs.3066/-per T. Hence profitability is established based on sale price of mineral and total cost incurred on per ton basis. On economic axis E1 can be assigned to mineable mineral reserves considered.

- **Regarding** भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या हैं के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टेरनेअ ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ईआई रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें

- **Reply**-As per Khasra Panchasala Record, the land use of the proposed Land is govt. land and small part of pvt. land- which was uploaded over Parivesh portal also (Copy enclosed as **Annexure-7**. Very humbly no grazing land is involved in the subject mining proposal hence no alternate grazing land is proposed for provision against the ToR Condition
- **We understand that the given information are in line with your requirement and to entire satisfaction and we request you to kindly accord the environment clearance.**

Committee have discussed and arrived at following ;--

- The LOI validity was discussed during the appraisal, it was informed by the PP that they have already applied to Mining deptt , in order to avoid delay case was recommended, valid LOI dt 24th Feb is uploaded.
-
- Regarding R&R plan, ToR point (III) states that R&R plan should be prepared by PP as per Govt. rules for villagers having houses/huts in the lease area , during the presentation it was discussed in length.

There are 22 no of hutments developed as encroachment as they are practicing agriculture farming in nearby mine area. LARR plan has been prepared for Rs 177.76 lacs + 10 Laces for those 22 household. These hutments do not require shifting as mining is planned away from the hutments for initial 05 years after that mining shall be done through underground method .

-
- In compliance of ToR point ix, it was observed by the committee that no habitation is located along the transport road from lease area to PWD road. PP assured for construction of pucca road as shown under EMP budget. Budget has been provided for the occupational health issues under EMP
- The carbon sequestration issue (ToR point xii) PP has submitted that the proposal does not pertain as it is mining project and mining will be done only day time, however committee has suggested for solar lights and green belt development to reduce the carbon foot print. The cost benefit analysis (ToR Ponit- XIX) was not discussed as it was not a part of EIA study and already submitted with the project feasibility report during the submission of application. The panchsala Khasara documents (ToR Point XXV) are submitted with application and EIA on parivesh portal . PP submitted that no grazing land is involved within the lease area.
-
- The reply along with annexure submitted by the PP with respect to ADS, have been discussed in details as above and found satisfactory. Hence case is recommended for grant of environment clearance as made in 768th meeting of SEAC dated 28.01.2025 for further consideration .

44. <u>Case No. P-2/483/24 ShriAshishTiwari S/o ShriBalkrishanTiwari, NIWASI NAVALPUR, TEHSIL SOHAGPUR, DISTRICT SHAHDOL, (M.P.)-461771. Prior Environment Clearance for "Dhangawan Stone (Gitti) Quarry Lease "Khasra No.– 1728/1, an Area of 4.0 Ha. located Near Village– Dhangawan, Tehsil– Gohparu, District– Shahdol (M. P.) with Proposed Production Capacity – 25,137 Cum/Year. [MIN/452836/2023.]Referred Back.</u>

पूर्व में यह प्रकरण **सेक की 767वीं बैठक दिनांक 10/06/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक /उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुये थे । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा। अतः इस हेतु एडीएस जारी किया गया।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिया को अनुरोध करने के पश्चात् सिया द्वारा प्रकरण को सेक को प्रेषित किया गया। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को एजेण्डे में शामिल कर समिति के समक्ष रखा गया।

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक **11/03/2025** को परियोजना प्रस्तावक Shri Aaashish Tiwari एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Mr.Raheesh Patel, M/s FECCM, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Tiwari S/o Shri Balkrishan Tiwari, NIWASI NAVALPUR, TEHSIL SOHAGPUR, DISTRICT SHAHDOL, (M.P.)-461771. Prior Environment Clearance for "Dhangawan Stone (Gitti) Quarry Lease " Khasra No.– 1728/1, an Area of 4.0 Ha. located Near Village– Dhangawan, Tehsil– Gohparu, District– Shahdol (M. P.) with Proposed Production Capacity – 25,137 Cum/Year. **SIA/MP/MIN/452836/2023.**	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 1728/1,	एरिया– 4.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village– Dhangawan, Tehsil– Gohparu, District– Shahdol (M. P.)	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 1218 दिनांक 25/06/2019.	
पर्यावरणीय स्वीकृति	Fresh EC	

खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Muffle Blasting, prior permission from DGMS.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**लागू नहीं।**
उत्पादन क्षमता	➢ **स्टोन – 25,137 घनमीटर/वर्ष।**
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – **शहड़ोल** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1697 दिनांक 12/11/2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदाने स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा **4.00** हे. होता है, अतः प्रकरण **बी–2** श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – **शहड़ोल** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1697 दिनांक 12/11/2021 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – **शहड़ोल** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1697 दिनांक 12/11/2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – धनगंवा, जिला – शहड़ोल द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र0. 09 दिनांक 15/08 /2018 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	**लीज क्षेत्र में कुल 9 पेड़ लगे हैं जिनमें से नीम एवं पलास के बड़े पेड़ नहीं काटे जावेगें। अन्य 7 पेड़ काटे जाने प्रस्तावित है जिसके एवज में 140 अतिरिक्त पेड़ लगाये जावेगें।**
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण पश्चिम दिशा– सोन नदी लगभग 224 मीटर
जल/वायु सम्मति वैद्यता	Consent under Air & Water Act has been obtained from SPCB after getting EC.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 16 के सरल क्रमांक – 34 पर दर्ज है।

प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि –

- आवेदित लीज क्षेत्र पेसा (PESA) के अन्तर्गत आता है । अतः संबंधित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रस्तुत करें।
- वायु प्रदूषण का प्रस्ताव एवं संशोधित पौधारोपण का प्रस्ताव ईएमपी योजना में यथोचित बजट के साथ प्रस्तुत करें।
- पुनरीक्षित सीईआर योजना

- भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक फाईल नं- . IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) Dated 28/4/2023 के बिंदु5-(x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी कलस्टर सर्टिफिकेट कृपया अपलोड करें तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

45. <u>Case No. P2/787/24 RITU SHRIDHAR, Lease owner, Kishanpuri, district-jhabua(M.P). Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.740 ha. (Stone – 5335 m3/Year) (Khasra No. 822/3), Village -Piliya Khadan, Tehsil-Jhabua, District -Jhabua [MIN/463286/2024] (B2) Query Reply.</u>

पूर्व में यह प्रकरण **सेक की 756वीं बैठक दिनांक 22/05/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था।**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रकरण बी–2 श्रेणी का है, परियोजना प्रस्तावक Ms. **<u>RITU SHRIDHAR</u>**, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Aseries Envirotek India Pvt Ltd** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया था एवं उनके द्वारा पोर्टल पर निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई थी।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	RITU SHRIDHAR, Lease owner, Kishanpuri, district- jhabua(M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	822/3 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.740 hectare.
स्थल	Village -Piliya Khadan, Tehsil-Jhabua, District -Jhabua	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 962 दिनांक 20/12/2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 70 दिनांक 10/11/2016 के द्वारा Stone – 5335 m3/Year हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट (डिया से सिया)	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone – 5335 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone – 5335 m3/Year	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 02/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.99 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 02/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 02/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में आवेदित क्षेत्र से नाला 150 मीटर की दूरी पर एवं पक्का रास्ता लगभग 80 मीटर की दूरी पर स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पिलिया खदान जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 19 दिनांक 26/11/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 02/01/2024 अनुसार डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा ।

PP submitted that I would like to inform you that as per DEIAA EC letter the area is 1.76ha. and production capacity is 5,335 cum/year. (Annexure-A) and as per scheme of mine closure plan the area is 1.74ha. the production capacity is 5,335 cum/year (The area specified in the mine closure plan and the DEIAA EC letter differ, so we have submitted for mining of mineral of minor mineral of mine lease (0-5HA.)-Form 2 as new application for re-appraisal under ministry OM dated 28.04.2023 in parivesh portal 2.0 for environmental clearance), Accordance with clause 09 of the DEIAA policy decision(Annexure-D) made by the respected MP-SEIAA during the 826th meeting held on 23.1.2024, our case is to be considered as a new case.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेगें कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।

समिति ने परीक्षण उपरान्त परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये–

भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक फाईल नं- . IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) Dated 28/4/2023 के बिंदु5-(x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी कलस्टर सर्टिफिकेट कृपया अपलोड करें तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

46. <u>Case No. P-2/97/2024 Shri Pawan Kumar Tiwari, Partner, M/s SKY LIGHT INFRASTRUCTURE, Village- Harraha, Post- Bahera, Tehsil- Mauganj, District- Rewa (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.10. ha. 22040 cum per annum) (Khasra No. 24/1 & 25) Village -Harraha, Tehsil- Mahuganj, District- Rewa (M.P.).</u> TOR. **<u>Query Reply.</u>**

प्रकरण सेक की 747वीं बैठक दिनांक 02/05/24 एवं 777वीं बैठक दिनांक 11/03/25 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित नहीं रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

47. <u>Case No. P2/583/2024 Shri Agyat Gupta, Director, DG MARBEL AND GRANITES LLP, 158 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 5.400 ha. (Granite-4000 cum per annum, Boulder-12322 cum per annum] Gitti-12322 cum per annum & M-Sand-98576 cum per annum) (Khasra No. 431) Village Bhitariya, Tehsil Lavkushnagar, District Chhatarpur (M.P.) [MIN/463817/2024] TOR- Referred Back case.</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 749–Aवीं बैठक दिनांक 13/05/2024 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार ''गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर'' (परिशिष्ट–1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा किये जाने का निर्णण लिया गया था।

<u>सिया की 865वीं बैठक दिनांक 23/01/2025 के कार्यवाही विवरण में उल्लेख है कि</u>

- **प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया**

- **प्राधिकरण द्वार प्रकरण के परीक्षण में पाया कि SEAC ने अपनी 749वी बैठक दिनांक 2024 में उल्लेख किया है कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवेदित भूमि खसरा क्रमांक रकबा 5.40 हेक्टेयर नॉन फॉरेस्ट लैण्ड है, जबकि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल ने अपने पत्र क्रं. मा.चि./2017/4685 दिनांक 12.12.2017 में स्पष्ट उल्लेख किया आवेदित क्षेत्र वन भूमि है। वनमण्डलाधिकारी द्वारा आवेदित क्षेत्र वन सीमा अंतर्गत व उल्लेख भी किया है एवं जियो कॉर्डिनेट्स भी दिये हैं। वन भूमि को सामान्य भूमि बताना गंभीर त्रुटि है, अतः SEAC प्रकरण का पुनः परीक्षण करें एवं यह तथ्य भी बताये कि इतन त्रुटि किस कारण से हुई है।**

प्रकरण को समिति के समक्ष सिया द्वारा टॉर प्रकरण को रिफर्डबेक करने के फलस्वरूप पुनः दिनांक 11/03/2025 को समिति के समक्ष रखा गया ।

परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि ग्राम सभा का ठहराव प्रसताव परिवेश पोर्टल के एडिशनल इंफॉरमेशन के बिन्दु क्रमांक–9 पर अपलोड है एवं **एकल प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित लीज क्षेत्र के वन भूमि में होने के कारण अनापत्ति परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत करेंगें तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा।**

48. <u>Case No. 10756/2023 M/s ISMAIL AND SONS, SALES OFFICE :-Near Mission Chock , KATNI (M.P.) PIN Code :- 483501 Prior Environment Clearance for TIKARIYA BAUXITE, LIMESTONE & LATERITE Mine in an area of 16.187 ha. TIKARIYA BAUXITE, LIMESTONE & LATERITE- 102028 TPA & Waste- 6888 TPA) (Khasra No. 2/1 K, 2/2, 2/3 Kh, 2/5, 18/5 P, 55P) Village – Tikariya, Tehsil Murwara, Distt. Katni (M.P.) EIA, Referred Back.</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 754वीं बैठक दिनांक 20/05/2024 में विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

प्रकरण में SEAC की 754वीं बैठक दिनांक 20/05/2024 में की गई अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 859वीं बैठक दिनांक 05/06/2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत नगर निगम कटनी द्वारा ग्राम टिकरिया, तहसील मुडवारा, जिला कटनी के खसरा नम्बर 2/1 क, 2/2,2/3 ख, 2/5 रकबा 12.679 हे. दी गई है जब कि प्रस्तावित खदान खसरा 2/1 क, 2/2,2/3 ख, 2/5, 18/5 पी, 55 पी, रकबा 16.187 हेक्टेयर की है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** *को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।*

प्रकरण को समिति की बैठक आज दिनांक 11/03/25 को समिति के समक्ष रखा गया

समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल अपने पत्र दिनांक 07/02/2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी संलग्नकों के साथ प्रस्तुत की है।

पत्र में परियोजना प्रस्तावक ने उल्लेख किया है कि हमारी खदान का कुल लीज क्षेत्र 16.187 हेक्टेयर है। हमारी लीज की बैधता 02.11.1975 से 01.11.1995 और लीज नवीकरण होकर 31.10.2025 हैं। खसरा नम्बर 2/1, 2/2, 2/3ख, 2/5 रकबा 12.679 हे. नगर निगम मे आता हैं। इस कारण नगर निगम कटनी द्वारा 12.679 हे. पर NOC दी गयी हैं। कापी सलंग्न हमारे द्वारा इतने क्षेत्र पर DGPS सर्वे भी करवाया गया है, एवं संशोधित खसरा नक्शा भी है।

हमारे प्रकरण में कुल लीज क्षेत्र 16.187 हेक्ट. में से 12. 679 हेक्ट. पर उत्खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जायें। एवं शेष भाग (16.187–12.679) 3.50 हेक्ट. पर वृक्षारोपण किया जायेगा।

अतः समिति ने पूर्व में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 754वीं बैठक दिनांक 20/05/2024 में विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित करने की अनुशंसा करती है।

49. <u>Case No P2/841/24 Smt. SAROJ RANI YADAV, Owner, GADOLI KALAN BAHERIYA SHAHNI SAGAR (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (10,000 cum per annum) (Khasra No. 108) Village- GANDHOLI Tehsil- Sagar District Sagar (M.P.).SIA/MP/MIN/460605/2024 (B-2) Query Reply.</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 760वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 में प्रस्तुत किया गया था।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	SAROJRANI YADAV, Owner, GADOLI KALAN BAHERIYA SHAHNI SAGAR (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	108 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम GANDHOLI तसहील और जिला Sagar (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 837 दिनांक 02/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज के बाहर है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर– 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर– 10,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र दिनांक 27/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र दिनांक 27/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र दिनांक 27/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व	

	धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गढ़ौलीकलां जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 02/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ो की संख्या 15 जिनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जायेगा
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– खदान के उत्तर दिशा में कृषि भूमि परिलक्षित हो रही है
	दक्षिण दिशा– खदान के दक्षिण दिशा में 138 मीटर पर एक पक्की सड़क, बंजर भूमि एवं कृषि भूमि परीलक्षित हो रही है
	पूर्व दिशा– खदान के पूर्व दिशा में 20 मीटर पर एक पक्की सड़क परीलक्षित हो रही है
	पश्चिम दिशा–खदान के पश्चिम दिशा में कृषि भूमि परिलक्षित हो रही है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 126 दिनांक 30/01/24 अनुसार उक्त खदान को आगामी डीएसआर में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेगें कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना **प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें।**

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा **सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान** प्रस्तुत कर दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार उत्पादन क्षमता –10,000 घनमीटर/वर्ष स्टोन ।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09,48 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 04,08 लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपणकिये जाय`
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0,80 लाख :–

सीईआर	राशि रू.
अधोसंरचना विकास के लिये शासकीय माध्यमिक शाला गड़ाला कलां के पालक शिक्षक संघ में अग्र लिखित धनराशि जमा कराई जाएगी।	80,000
टोटल	80,000
सीईआर के मद में प्रस्तावित की गई धनराशि पालक शिक्षक संघ में भू-प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा करा दी जाएगी एवं इसकी सूचना माइनिंग ऑफीसर को दी जाएगी ।	

50. Case No P2/132/24 PRAMOD DHABAI,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 0.35 Hectare, Khasra No.- 175 in Village - Amadhana Rayyat, Tehsil - Ghodadongri, District - Betul (MP), Maximum Production - 3780 cum per annum [MIN/446256/2023]. EIA , Referred Back case

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 751वीं बैठक दिनांक 15/05/2024 में प्रस्तुत किया गया था

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया था ।

परियोजना विवरण :–

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Prades Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 0.350 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village – Amadhana Rayyat & Tehsil – Ghodadongari, District – Betul (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का	नहीं			

वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।				
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हॉ	
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (आमढाना रैयत-2) दिनांक - 04.11.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 3,780 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक ख.लि.–2/2023/1262 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 6.780 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक ख.लि.–2/2023/1262 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक ख.लि.–2/2023/1262 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय			

	निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आमढाना रैयत.2 जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम चै। के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	**रेत की खदान है**	**रेत की खदान है**
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• **रेत की खदान है**	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–11 के सरल क्रमांक– 18 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान एवं डी.एस.आर. मे दिये गये कोर्डीनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को–आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन–लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित् की जा सके।

SEIAA vide their meeting 872th dated 27.02.2025 meeting referred back this case to SEAC with following comments:

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति **(SEAC)** की **751** वी बैठक दिनांक **15.05.2024** में उक्त प्रकरण में यह निर्णय लिय गया कि "...प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान एवं डी.एस.आर. मे दिये गये कोर्डीनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है

कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित् की जा सके।"

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि **परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष** नहीं किये गये हैं अतः समिति ने निर्देश दिये कि **इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत प्रस्तुत करें** तत्पश्चात् प्रकरण में विचार किया जावेगा।

51. <u>Case No P2/165/24 BALVEER TOMAR,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 14.00 Hectare, Khasra No.- 396/2 in Village - MAWAIGHAT-1, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 150000 cum per annum [MIN/452425/2023] Query Reply.</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 760वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 में प्रस्तुत किया गया था

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि लीज क्षेत्र की केएमएल ईमेज के अनुसार कुछ भाग उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति संबंधित जिला खनिज अधिकारी से स्पष्ट की जाना आवश्यक है। अतः परियोजना प्रस्तावक खनिज अधिकारी से लीज क्षेत्र की स्थिति की वास्तविक जानकारी के बारे में अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करें तद्उपरांत प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

प्रकरण को समिति की बैठक आज दिनांक 11/03/25 को समिति के समक्ष रखा गया

समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–छतरपुर के पत्र क्रमांक 154 दिनांक 19/06/2024 रा.नि. गौरिहार एवं हल्का पटवारी मवईघाट का पंचनामा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार लीज क्षेत्र उत्तरप्रदेश सीमा में नहीं है ।

The EMP and other submissions made by the PP on Parivesh portal Form-I were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 1,50,000 cum per annum.

Area (Ha)	Net area available for sand mining (Ha)	Area (m2)	Thickness of Mineral (in M)	Volume (in m3)
14.00	7.5 ha	75000 m^2	2.0	150000
TOTAL				**150000**

2. A budgetary provision for Environmental Management Plan of **Rs. 8.64**Lakh as capital and **Rs. 4.23** Lakh/year as recurring has proposed by PP.
3. As proposed, a minimum of 15,000 trees/herb/shrubs shall be planted within 01 years along the approach road, evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.
4. PP submitted following CER Plan.

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	**राशि (रू. में)**
ग्राम मवईघाट के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 104000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	104000.00
ग्राम मवईघाट के तालाबों से गाद निकालने एवं गहरा करने में सहयोग हेतु 50,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	50,000.00
कुल	1,54,000.00

52. <u>Case No. P2/144/24 RAJEEV SAXENA,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 7.00 Hectare, Khasra No.-1 in Village - NACHANKHEDA, Tehsil - Burhanpur, District - Burhanpur (MP), Maximum Production - 84000 cum per annum [477046] Query Reply.</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 762–Aवीं बैठक दिनांक 02/06/2024 में प्रस्तुत किया गया था

परियोजना विवरण :–

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री राजीव सक्सेना, (संभागीय कार्यालय), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01(सरकारी-गैर वन भूमि)	7.000 हे.
स्थल	ग्राम-नाचनखेडा, तहसील-बुरहानपुर, जिला - बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 84000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 84000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/12 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहींहैं। प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/12 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/12 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि	

	में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत - नाचनखेडा, ग्रामसभा-नाचनखेडा, जिला- बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक **07/03/2015** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-12 के सरल क्रमांक-6 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक27/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक उपस्थित नहीं हुये । खदान ताप्ति नदी क्षेत्र मे है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का कुछ भाग अन्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा में परिलक्षित हो रहा है। अतः समिति का मत है कि संबंधित क्षेत्र के माईनिंग अधिकारी द्वारा खदान की सीमा के संबंध में स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करने के उपरांत रेत खदान हेतु विचार किया जाना संभव होगा ।

ADS–खनन लीज क्षेत्र का कुछ भाग अन्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा में होने के संबंध में संबंधित खनिज अधिकारी से स्पष्ट स्थिति एवं प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत की जायें।

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें दिनांक 11/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरों प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना, ऑनलाईन उपस्थित हुये। और उनके द्वारा समिति के समक्ष क्वेरी रिप्लाई का प्रस्तुतीकरण किया गया था ।

प्रकरण को समिति की बैठक आज दिनांक 11/03/25 को समिति के समक्ष रखा गया

समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर न्यायालय तहसीलदार शाहपुर तहसील जिला–बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 1105 दिनांक 10/12/2024 के पत्रानुसार लीज क्षेत्र का भाग महाराष्ट्र सीमा में नहीं है ।

The EMP and other submissions made by the PP on Parivesh portal Form-I were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant

of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 84,000 cum per annum.

Area (Ha)	**Net area available for sand mining (Ha)**	**Area (m2)**	**Thickness of Mineral (in M)**	**Volume (in m3)**
7.00	4.2 ha	42000 m^2	2.0	84,000
TOTAL				**84,000**

2. A budgetary provision for Environmental Management Plan of **Rs. 3.76** Lakh as capital and **Rs. 2.24** Lakh/year as recurring has proposed by PP.
3. As proposed, a minimum of 8500 trees/herb/shrubs shall be planted within 01 years along the approach road , evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.
4. PP submitted following CER plan.

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	**राशि (रू. में)**
ग्राम नाचनखेड़ा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 75000.0 रुपये की राशि ग्राम पंचायत बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	75000.0

53. <u>Case No. P2/128/24 RAJEEV SAXENA,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 12.546 Hectare, Khasra No.- 87 in Village - Bakwadi, Tehsil - Rajpur, District - Barwani (MP), Maximum Production - 7000 cum per annum [MIN/450453/2023] Query Reply.</u>

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें खनिज क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है, एवं पास में स्टाप डेम है । अतः खनिज अधिकारी से ''वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्व निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

<u>ADS-</u> खनिज अधिकारी से ''वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्व निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

प्रकरण को समिति की बैठक आज दिनांक 11/03/25 को समिति के समक्ष रखा गया

समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा जिला–बड़वानी द्वारा पत्र क्रमांक 172 दिनांक 23/01/2025के माध्यम से उपरोक्त जानकारी संलग्नकों के साथ प्रस्तुत की है।

The EMP and other submissions made by the PP on Parivesh portal Form-I were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 7,000 cum per annum.

Sand Mineable Area (in m^2)	**60% of Sand Mineable Area (in m^2)**	**Thickness of Mineral (in m)**	**Volume (in m^3)**

50771.86	4667	1.5	7000
Total			**7000**

2. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs. 1,73,500 Lakh as capital and Rs. 1,72,050 Lakh/year as recurring has proposed by PP.

3. As proposed, a minimum of 700 trees/herb/shrubs shall be planted within 01 years in barrier zone, river bank, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.

4. PP submitted following CER plan.

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू. में)
ग्राम बकवाड़ी के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 55000.00 रुपये की राशि ग्राम पंचायत बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	55000.00

54. <u>Case No. P2/124/24 RAJEEV SAXENA,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 12.545 Hectare, Khasra No.- 25 in Village - Ekalbara Naveen, Tehsil - Rajpur, District - Barwani (MP), Maximum Production - 4000 cum per annum [MIN/450561/2023] Query Reply.</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 764–Aवीं बैठक दिनांक 05/06/2024 में प्रस्तुत किया गया था

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है । परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर खनिज अधिकारी से ''वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

<u>ADS</u> खनिज अधिकारी से ''वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

प्रकरण को समिति की बैठक आज दिनांक 11/03/25 को समिति के समक्ष रखा गया

समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा जिला–बड़वानी द्वारा पत्र क्रमांक 172 दिनांक 23/01/2025के माध्यम से उपरोक्त जानकारी संलग्नकों के साथ प्रस्तुत की है।

The EMP and other submissions made by the PP on Parivesh portal Form-I were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 4,000m3/year.

Lease Area (Ha.)	Area Available for Mining (Ha.)	Thickness of Mineral (in M)	Minable sand Recovery (in Cubic Meter)
12.545Ha.	0.6667 Ha.	0.60	4000
TOTAL			**4000**

2. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs.1,66,600/- as capital and Rs. 1,79,840/ - per year as recurring has proposed by PP.
3. As proposed, a minimum of 400 trees/herb/shrubs shall be planted within 01 years in barrier zone, riverbank, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.
4. PP submitted following CER Plan

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	**राशि (रू. में)**
ग्राम महतगांव के तालाबों से गाद निकालने एवं गहरा करने में सहयोग हेतु 45,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	**45000.00**

55. <u>Case No. P2/127/24 RAJEEV SAXENA,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 12.659 Hectare, Khasra No.- 59, 80 in Village - Goi, Tehsil - Sendhwa, District - Barwani (MP), Maximum Production - 5000 cum per annum [MIN/450659/2023] Query Reply.</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 764–Aवीं बैठक दिनांक 05/06/2024 में प्रस्तुत किया गया था

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है । खनन क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 105 मी. पर रोड ब्रिज है। परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर खनिज अधिकारी से ''वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्व निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

<u>ADS</u> खनिज अधिकारी से ''वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्व निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

प्रकरण को समिति की बैठक आज दिनांक 11/03/25 को समिति के समक्ष रखा गया

समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा जिला–बड़वानी द्वारा पत्र क्रमांक 172 दिनांक 23/01/2025के माध्यम से उपरोक्त जानकारी संलग्नकों के साथ प्रस्तुत की है।

The EMP and other submissions made by the PP on Parivesh portal Form-I were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 5,000m^3/year.

Lease Area (Ha.)	Area Available for Mining (Ha.)	Thickness of Mineral (in M)	Minable sand Recovery (in Cubic Meter)
12.59Ha.	5.0	0.1	5000
TOTAL			**5000**

2. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs.1,68,500/- as capital and Rs. 1,74,450/ - per year as recurring has proposed by PP.
3. As proposed, a minimum of 500 trees/herb/shrubs shall be planted within 01 years in barrier zone, riverbank, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.
4. PP submitted following CER Plan.

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू. में)
ग्राम गोय के तालाबों से गाद निकालने एवं गहरा करने में सहयोग हेतु 47000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	47000.00

56. <u>Case No. P2/130/2024 RAJEEV SAXENA,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.215 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - Bhulgaon, Tehsil - Rajpur, District - Barwani (MP), Maximum Production - 6000 cum per annum. Query Reply.</u>

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 764वीं बैठक दिनांक 06/06/2024 में प्रस्तुत किया गया था

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो डेब नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 06/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री राजीव सक्सेना, जिला कलेक्टर, (खनिज शाखा), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी-गैर वन भूमि)	8.215 हे.
स्थल	ग्राम- भूलगांव, तहसील- राजपुर, जिला- बडवानी, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत -6,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 6,000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1095 दिनांक 27/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। अत: प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1095 दिनांक 27/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की	

	परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बडवानी के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1095 दिनांक 27/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत- सांगवीनीम, ग्रामसभा- भूलगांव, जिला- बडवानी के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 29/08/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-13 के सरल क्रमांक-22 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 31/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 1. भूलगांव रेत खदान से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये व रेत भी स्थानीय लोगों को मिलना चाहिये।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र क्षेत्र के 04 कॉर्डिनेट दिये गये हैं जिससे निर्मित के.एम.एल. ईमेज की आकृति का मिलान नहीं होता है अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि लीज क्षेत्र के अतिरिक्त कॉर्डिनेट खनिज अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा । ADS

प्रकरण को समिति की बैठक आज दिनांक 11/03/25 को समिति के समक्ष रखा गया

समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा जिला–बड़वानी द्वारा पत्र क्रमांक 198 दिनांक 28/01/2025 के माध्यम से लीज क्षेत्र के 22 कॉर्डिनेट प्रस्तुत किये गये हैं।

The EMP and other submissions made by the PP on Parivesh portal Form-I were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 6,000 cum per annum.

Sand Mineable Area (in m^2)	**60% of Sand Mineable Area (in m^2)**	**Thickness of Mineral (in m)**	**Volume (in m^3)**
33244.93	4615	1.3	6000
Total			**6000**

2. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs. 3,73,000 Lakh as capital and Rs. 2,07,860 Lakh/year as recurring has proposed by PP.
3. As proposed, a minimum of 600 trees/herb/shrubs shall be planted within 01 years in barrier zone, river bank, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.
4. 4. PP submitted following CER Plan.

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू. में)
ग्राम भुलगांव के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 77000.00 रूपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति महेश्वर के बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	77000.00

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र –

1. Case No. 11141/2024

प्रकरण में समिति की पूर्व 774वीं बैठक दिनांक 18/02/25 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत विलोनिया एवं पौधारोपण कार्यक्रम की जानकारी त्रुटिवश उल्लेखित नहीं हो पाया है, के स्थान पर ग्राम पंचायत मुंडला एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 1370 वृक्षों का वृक्षारोपण पढ़ा जाये, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्ते यथावत रहेंगी ।

2. Case No. 10784/2023

प्रकरण में समिति की पूर्व 775वीं बैठक दिनांक 21/02/25 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी, जिसमें प्रस्तुत करने की तारिख 29/12/23, डाटाशीट में बिंदु क्रमांक–9 उत्पादन क्षमता की जानकारी अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत, डाटाशीट में बिंदु क्रमांक–14 में जिला उमरिया त्रुटिवश उल्लेखित हो पाया है के स्थान पर प्रस्तुत करने की तारिख 21/02/25, डाटाशीट में बिंदु क्रमांक–9 उत्पादन क्षमता की जानकारी अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन, डाटाशीट में बिंदु क्रमांक–14 में जिला अशोकनगर के साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण पढ़ा जाये, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्ते यथावत रहेंगी ।

3. Case No. 10707/2023

प्रकरण में समिति की पूर्व 775वीं बैठक दिनांक 21/02/25 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी, जिसमें रकबा 2.00 हेक्टेयर एवं उत्पादन क्षमता मुरम–10,000 घनमीटर/वर्ष त्रुटिवश उल्लेखित हो पाया है के स्थान पर रकबा 04.00 हेक्टेयर एवं उत्पादन क्षमता मुरूम 25,000 घनमीटर/वर्ष पढ़ा जाये, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्ते यथावत रहेंगी ।

4. Case No. 10702/2023

प्रकरण में समिति की पूर्व 775वीं बैठक दिनांक 21/02/25 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी, जिसमें प्रकरण प्रस्तुत करने की तारीख 14/02/25 त्रुटिवश अंकित हो गई है के स्थान पर प्रकरण प्रस्तुत करने की तारीख 21/02/25 पढ़ा जाये, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्ते यथावत रहेंगी ।

5. Case No. 10919/2023

प्रकरण में समिति की पूर्व 774वीं बैठक दिनांक 18/02/25 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी, जिसमें पौधारोपण कार्यक्रम त्रुटिवश अंकित नहीं हो पाई है के स्थान पर पौधारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण पढ़ा जाये, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्ते यथावत रहेंगी ।

6. Case No. 11028/2023

प्रकरण में समिति की पूर्व 774वीं बैठक दिनांक 18/02/25 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी, जिसमें पौधारोपण कार्यक्रम त्रुटिवश अंकित नहीं हो पाई है के स्थान पर पौधारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण पढ़ा जाये, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्ते यथावत रहेंगी ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.

17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.

32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल क्रेशर /एम–सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
    - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
38. **क्रशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नही है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
    - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
    - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

39. **यदि आवंटित खनन पट्टा भू–स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।**

1. **<u>क्षतिपूर्ति के संबंध में:–</u>**
    - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
    - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Minable Potential of sand mine.
    e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    f. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**